

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] No. 196] नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2005 विशाख 19, 1927

NEW DELHI, MONDAY, MAY9, 2005/VAISAKHA 19, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2005

सा.का.नि. 283(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथं पठित धारा 124 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा तैयार की गई तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में अनुबंधित जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2005 को अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियमावली सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

## अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंड़ल निम्नलिखित विनियमावली बनाता है -

1)

- (1) इस विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, <sup>2005</sup> " होगा ।
- (2) यह विनियमावली भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

1457 GI/2005

- 2) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) विनियमावली, 1988 में-
  - (क) विनियम 10 के उप-विनियम 2 में
  - (i) "निकट संबंधियों" के बाद "अपने निजी मित्रों से जिनका उससे कोई सरकारी लेन-देन न हो " जोड़ा जाए ।
  - (ii) खण्ड (i) से (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएं :
    - (i) श्रेणी-I के पद वाले कर्मचारी के मामले में सात हजार रुपए
    - (ii) श्रेणी-II के पद वाले कर्मचारी के मामले में चार हजार रुपए
    - (iii) श्रेणी-III के पद वाले कर्मचारी के मामले में दो हजार रूपए
    - (iv) श्रेणी-IV के पद वाले कर्मचारी के मामले में एक हजार रुपए
  - (ख) विनियम 10 (3) को हटा दिया जाएगा।
  - (ग) विनियम 10 के उप-विनियम 4 में खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए -
    - (i) श्रेणी-I या II के पद वाले कर्मचारी के मामले में एक हजार पाँच सौ रुपए
    - (ii) श्रेणी-III या IV के पद वाले कर्मचारी के मामले में पाँच सौ रुपए
  - (घ) विनियम 16 के उप-विनियम (3) में शब्दों और अंकों में दिए गए "रु.5000/-" और "रु.2500/-" के स्थान पर क्रमश: "पच्चीस हजार रुपए" और "पंद्रह हजार रुपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. पीआर-12016/11/2004-पीई-1] ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: — जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) विनियमावली, 1988 दि.06.01.1988 के सा.का.नि.संख्या 12 (ई) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और दि.26.04.1994 के सा.का.नि. संख्या 414 (ई) के अंतर्गत संशोधित की गई थी ।

# MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2005

G.S.R. 283(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the

Jawaharlal Nehru Port Trust Employees' (Conduct) (Second Amendment) Regulations, 2005'made by the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

### **SCHEDULE**

In exercise of powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port frames the following Regulations namely:-

1.

- (1) These Regulations may be called Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Conduct) (Second Amendment) Regulations, 2005
- (2) They shall come into force on the date of their publications in the official Gazette.
- 2. In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Conduct) Regulations, 1988.
  - (a) In regulations 10, in sub-regulations 2.
    - (i) after the words "near relative", the words "or from his personal friends having no official dealings with him" shall be added.
    - (ii) for clauses (i) to (iii), the following clauses shall be substituted namely :-
      - (i) Rs. Seven thousand in the case of an employee holding any Class I Post.
      - (ii) Rs.Four thousand in the case of an employee holding any Class
      - (iii) Rs. Two thousand in the case of an employee holding any Class III post.
      - (iv) Rs. One thousand in the case of an employee holding any Class IV post.
      - (b) Regulation 10 (3) will be deleted.
      - (c) In regulation 10, in sub-regulation 4, for clauses (i) and (ii) the following clauses shall be substituted, namely:-
        - (i) Rs. One thousand five hundred in the case of an employee holding any Class 1 or Class II post.
        - (ii) Rs. Five hundred in the case of an employee holding any Class III or Class IV post.
    - (d) In regulation 16, in sub-regulations (3), for the letters and figures "Rs.5000/-" and "Rs. 2500/-" the words "twenty thousand rupees" and "fifteen thousand rupees" shall respectively be substituted.

      [F. No. PR-12016/11/2004-PE-11]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

Foot Note: Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Conduct) Regulations, 1988 were notified in the Gazette of India dated 6.1.1988 vide GSR no. 12 (E) and amended vide GSR no.414 (E) dated 26.04.1994.